उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-26/2015/334जेएल/22-3-15-300(01)/2015

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2015

<u>वारण्ट</u>

जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-376, 511, 324 के अन्तर्गत 03 वर्ष 06 कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी जैकी पुत्र श्री गजराज को मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे कारागार में वापस भेज दिया जाये।

आर0के0 द्विवेदी
उप सचिव।

<u>संख्या-26/2015/334जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि उक्त बंदी निर्धारित सजा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त कारागार अभिरक्षा में निरूद्ध न रहें:-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2423/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/4/2014, दिनांक 28-01-2015 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।

3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in